अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

10/4/23

हरि वगैरह बनाम राज.सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम, अपील संख्या 119/2023
(पुष्कर)

	श्री चरण सिंह रावत एडवोकेट हरि वगैरह बनाम राज.सरकार (119/2023)	
06.04.2023	यह अपील श्री चरण सिंह रावत एडवाकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2023, आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली प्रार्थना पत्र स्थगन पर आदेश हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
10.04.2023	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 06.04.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से सहयोग प्राप्त कर प्रार्थीगण को उनके पैतृक हक–अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि से अविधिक रूप से बेदखल किये जाने पर आमादा है जिस हेतु विधिक प्रक्रिया के तहत् कोई नोटिस अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण को नवीन रूप से जारी नहीं कर केवलमात्र दिनांक 15.03.2023 को मौके पर आकर मौखिक रूप से प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने की धमकी दी गई है और यदि अप्रार्थीगण अपने अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद, अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व वर्तमान अपील प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त होकर अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकारों का हनन होगा तथा प्रार्थीगण को प्रकरण की बहुलता में लिप्त होना होगा, जिससे होनी आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असंभाव है। मूल वाद, अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं वर्तमान अपील में वर्णित अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, प्राकृतिक व नैसर्गित न्याय का सिद्धान्त, कानून न्याय व समानता प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर अपील में वर्णित विवादित आराजी की सीमा तक ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा प्रकरण 15/2023 में आदेशिका दिनांक 28.03.2023 में यह अंकित किया गया कि "प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया जाकर अन्तरिम एक पक्षीय बहस के आधार पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का मामला नहीं बनता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 12.04.2023 को पेश हो"। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 12.04.2023 नियत की है। प्रार्थीगण/अपीलांटस ने नियत दिनांक 12.04.2023	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हरि वगैरह बनाम राज.सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम, अपील संख्या 119/2023
(पुष्कर)

के पूर्व अप्रार्थीगण के नोटिस प्राप्त नहीं होने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होने का इन्तजार करना चाहिए था, क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned with CamScanner